न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 119/2023
सी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/332

वादी	बनाम प्रतिवादी
जेठाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा	1.फकीराराम पुत्र वीरमाराम 2.मलाराम पुत्र वीरमाराम जाति ढाडी निवासी गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2.प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक— 31.10.2025

1.संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम लक्ष्मीनगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1006/170 क्षेत्रफल 0.8656 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की खातेदारी के सेढा सेढ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खेत अवस्थित है। प्रतिवादी झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा वादी की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी द्वारा वलपूर्वक अवैघ कब्जा कर लिया गया है,वादी द्वारा प्रतिवादी को अवैघ कब्जा हटवाने का निवेदन किए जाने पर भी प्रतिवादी द्वारा अपना अवैघ कब्जा नही हटवाया गया। तव वादी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करवाए गए,जिसमे प्रतिवादी का अवैघ कब्जा होना पाया गया। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अवैघ अतिक्रमण हटवाने एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने का वाद पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए.प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई,जो शामिल पत्रावली है। वक्त बहस प्रतिवादी संख्या 03 के उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही पारित की गई।

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रही। वादी के वाद पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयात समझी गई।

4.वादी की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में PW.01 जेठाराम के बयानात कलमबद्व करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–01 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी,प्रदर्श 2–नक्शा प्रति व प्रदर्श 3–मौका फर्द दिनांक 27.3.2023 की प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम लक्ष्मीनगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1006/170 क्षेत्रफल 0.8656 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की खातेदारी के सेढा सेढ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खेत अवस्थित है। प्रतिवादी झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा वादी की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी द्वारा बलपूर्वक अवैघ कब्जा कर रखा है,वादी द्वारा प्रतिवादी को अवैघ कब्जा हटवाने का निवेदन किए जाने पर भी प्रतिवादी द्वारा अपना अवैघ कब्जा नही हटवाया गया। तब वादी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करवाए गए,जिसमे प्रतिवादी का अवैघ कब्जा होना पाया गया,जो पत्रावली के संलग्न रिपोर्ट से प्रमाणित है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और खातेदार की खातेदारी भूमि मे सेढा पड़ौसी द्वारा बलपूर्वक अवैघ कब्जा कर रखा है,जो अवैघ कब्जा हटाया जाकर वादी प्राप्ति करने का हकदार है। वादी की ओर से अपनी साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित किया है कि वादी की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अवैघ कब्जा कर रखा है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे भी स्पष्ट अंकन किया है कि वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अवैघ कब्जा कर रखा है,जो बंरग केसरिया से दर्शित किया गया है। अतं मे निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट मे दर्शित बरंग केसरिया भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अवैघ अतिक्रमण हटवाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निघेषाज्ञा जारी की जावें कि वादी की खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,बयानात व सीमाज्ञान मौका फर्द एंव मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमे पाया कि ग्राम लक्ष्मीनगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1006/170 क्षेत्रफल 0.8656 हैक्टयर भूमि वादी की आवगी खातेदारी मे अवस्थित है,जो जमाबंदी प्रदर्श 1 अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए अवैघ अतिक्रमण को हटवाने हेतु वाद–पत्र लाया गया है। मौका फर्द दिनांक 27.3.2023 के अनुसार प्रार्थी जेठाराम पुत्र खेराजराम का कब्जा न होकर खसरा संख्या 193 के खातेदार मलाराम,फकीराराम पिसरान वीरमाराम का कब्जा पाया गया। प्रार्थी का मौके पर कब्जा लेने पर सीमाज्ञान कार्य करवा दिया जावेगा,ऐसा रिपोर्ट मे उल्लेखित है,जो प्रदर्श 3–मौका फर्द पत्रावली के संलग्न है। हल्का पटवारी गंगावास व भू अभिलेख निरीक्षक मण्डली की मौका फर्द दिनांक 07.8.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1006/170 मे से रकबा 0.6456 हैक्टयर भूमि पर खसरा संख्या 193 (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) के खातेदारान का कब्जा है। मौके पर वर्तमान मे कोई किसी प्रकार की फसल बोई हुए नही है। अवैध अतिक्रमण को नक्शे मे बरंग केसरिया दर्शित किया गया है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट से स्पषट साबित है कि वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अवैघ अतिक्रमण कर रखा है,जो कि वादी द्वारा अपने साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित भी किया है। प्रतिवादी बावजूद तामीली के उपस्थित नही हुए है। इससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को वादी के वाद स्वीकार किए जाने पर मौन स्वीकृति है,क्योकि यदि उजर–एतराज होता है,तो प्रतिवादी द्वारा विधिक कार्यवाही की जाती,जो कि प्रतिवादी द्वारा नही की गई है। ऐसी सूरत मे वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

<u>अनुतोषः</u>–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वाद–पत्र को साबित करने मे बखूबी सफल रहा है तथा वादी के वाद पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लक्ष्मीनगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1006/170 मे मौका फर्द दिनांक 07.8.2025 मे बरंग केसरिया से दर्शित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर वादी को सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

31/10/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

31/10/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 119/2023
जेठाराम बनाम फकीराराम वगैरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 119/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/332

वादी बनाम प्रतिवादी

जेठाराम पुत्र खेराजराम
जाति जाट निवासी गंगावास
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

1.फकीराराम पुत्र वीरमाराम
2.मलाराम पुत्र वीरमाराम
जाति ढाडी निवासी गंगावास
तहसील कल्याणपुर जिला वालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :119/2023

निर्णय दिनांक :–31.10.2025

वादी की ओर से श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 31.10.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लक्ष्मीनगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1006/170 मे मौका फर्द दिनांक 07.8.2025 मे बरंग केसरिया से दर्शित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर वादी को सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

यह आज तारीख 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

31/10/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4...........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	——
6.कमिश्नर की फीस	——	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	——	जोड़	——

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा